आपसी रंजिश के कारण दर्ज कराई थी झूठी एफआईआर

मामला : मक्सी में हुए साम्प्रदायिक दंगे का, जोएब की मौजूदगी के नहीं मिले प्रमाण

मक्सी, 2 फरवरी. सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं. यह पंक्ति मक्सी दंगा पीड़ित जोएब के जीवन संघर्ष और न्याय की लड़ाई को बखूबी बयां करती है. 25 सितंबर 2024 को मक्सी में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा सामने आया है. दंगे में आरोपी बनाए गए जोएब खान पिता अब्दुल सफीक खान को उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई सीआईडी जांच में अपराध क्रमांक 368/24 में क्लीन चिट मिल गई है. सीआईडी की प्रारंभिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि घटना स्थल पर जोएब की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं. पीड़ित जोएब खान ने नवभारत से बातचीत में बताया कि आपसी रंजिश के चलते उनका नाम साजिशन झूठी एफआईआर में दर्ज कराया गया था.

घटना के दौरान देवास में था जोएब, सीसीटीवी फुटेज

जोएब खान के अनुसार, उन्होंने 8 जून 2024 को तत्कालीन मक्सी थाना प्रभारी भीमसिंह पटेल को लिखित आवेदन देकर अनीस मेव पिता मजीद मेव एवं उसके परिजनों से जान का खतरा और झूठे केस में फंसाने की आशंका जताई थी. जोएब का कहना है कि उसी आशंका के अनुरूप बाद में दंगे के मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की गई. मक्सी दंगे के मुख्य गवाह असद खान से जोएब की फोन पर बातचीत हुई थी. घटना के समय, खुद जोएब का कहना है कि मैं देवास में मौजूद था. दंगे के मुख्य गवाह असद पिता नवाब खां उर्फ गब्बर घायल से जोएब की 25 सितंबर 2024 की शाम 7.26 बजे फोन पर 3 मिनट 41 सेकंड बातचीत हुई थी. जोएब के अनुसार उस समय वे मक्सी से देवास के बीच स्वस्तिक फूड जोन पर मौजूद थे और इसके बाद रात्रि 8.14 बजे दोबारा बातचीत में असद ने जोएब को मक्सी के बल्डी मोहल्ले में हुए झगड़े और फायरिंग की जानकारी दी और बाद में असद खान ने खुद जोएब के खिलाफ झूठी गवाही देकर जोएब को शक घेरे में खड़ा कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और टॉवर लोकेशन से साफ हुई स्थिति...

सीआईडी की प्राथमिक जांच में मक्सी घटनास्थल के जब्त सीसीटीवी फुटेज एवं लोगों द्वारा बनाए गए मोबाइल वीडियोज में जोएब की उपस्थिति घटना स्थल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है और देवास के सीसीटीवी कैमरे एवं मोबाइल की टॉवर लोकेशन में जोएब की मौजूदगी घटना के समय देवास में पाई गई, न कि मक्सी में.

13-14 बार थाना प्रभारी को दी थी सूचना...

फायरिंग की जानकारी मिलते ही जोएब ने उसी रात देवास से रहते हुए मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल को 13 से 14 बार फोन कर स्थिति से अवगत कराया. जोएब ने यह भी बताया कि उन्होंने देवास में रहते हुए आशंका जताई थी कि उन्हें इस दंगे में झूठा फंसाया जा सकता है एवं भीमसिंह पटेल ने भी झूठी रिपोर्ट न होने का दिलासा दिया था.

बयान में भी देवास होना पाया गया...

मक्सी मुस्लिम समाज के पूर्व नायब सदर इकबाल मंसूरी उर्फ भूरू ने सीआईडी को दिए बयान में कहा कि घटना के समय मैं और जोएब दोनों देवास में मौजूद थे एवं स्वस्तिक फूड जोन के मैनेजर सचिन पटेल, आमीन कुरैशी निवासी देवास, संदीप सांगते निवासी देवास, राहुल शर्मा निवासी देवास, करीम कृपा होटल के मैनेजर भगवान सिंह, आरिफ मेव निवासी देवास ने भी सीआईडी को अपने बयान में गवाह देकर जोएब का घटना के समय देवास में होना बताया.

झूठी एफआईआर और मानहानि का मुकदमा करेंगे जोएब

अंत में जोएब खान ने कहा कि जिन लोगों ने साजिशन झूठी गवाही देकर सीआईडी और न्यायालय को गुमराह किया है. उनका नाम झूठी एफआईआर में जुड़वाया है, वे उनके खिलाफ एफआईआर और मानहानि का दावा दायर करने की तैयारी कर रहे हैं.

नगर के विकास कार्यों के लिए रखी गई आधार शिला

सोयतकलां, 2 फरवरी. सोमवार को नगर परिषद् सोयतकलां में विकास की एक और मजबूत नींव रखी गई. वार्ड क्रमांक 7 में स्थित मुक्ति धाम स्थल पर मुक्ति धाम सौंदर्यीकरण नव निर्माणकार्य एवं वार्ड क्रमांक 4 स्थित पिड़ावा रोड स्थित नवीन एमआरएफ व कम्पोस्ट प्लांट निर्माण कार्य का शुभारम्भ विधिवत पूजन कर किया गया.

इस अवसर पर मुक्ति धाम विकास सेवा समिति के अध्यक्ष रामगोपाल भावसार, वरिष्ठ समाजसेवी पेंशनर अध्यापक जगदीश गुप्ता, व्यवस्थापक राधेश्याम कुशवाह, कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, महेश कुशवाह, बजरंग कुशवाह, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित नागर, नगर परिषद उपाध्यक्ष राजेश बैरागी, पार्षद देवेंद्र दांगी, दिलीप पायलट, जगदीश दामड़िया, अभिषेक पालीवाल, राजेश जयसवाल, लालचंद कुशवाह, प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर परिषद उपयंत्री दीपिका बुनकर, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अन्य नगरवासी उपस्थित रहे.

मामला शासकीय सामान बेचने का : साहब की चोरी पकड़ाई तो गरीब मजदूरों को फंसा दिया

विद्युत कंपनी के एई व पुलिस की कथित मिलीभगत से 6 निर्दोषों पर एफआईआर, वरिष्ठ अधिकारी मामले को दबाने में जुटे, ऑडियो, वीडियों, साक्ष्य होने का दावा

शुजालपुर, 2 फरवरी. शहर में विद्युत कंपनी और पुलिस विभाग के अधिकारियों की कथित मिलीभगत का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि शासकीय विद्युत सामग्री की अवैध बिक्री उजागर होने के बाद मामले से ध्यान हटाने के उद्देश्य से छह निर्दोष लोगों पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर दिया गया. यह पूरा मामला शुजालपुर सिटी मंडी रोड स्थित 132 केवी विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ है.

आरोपों के अनुसार ग्रिड पर पदस्थ सहायक अभियंता एई विजय ओझा ने बिना वरिष्ठ कार्यालय की अनुमति के ग्रिड परिसर में रखी लाखों रुपए मूल्य की शासकीय विद्युत सामग्री को कबाड़ के रूप में बेचने की बातचीत की. सामग्री देखने के बाद कबाड़ी से सौदा तय हुआ और तोल प्रक्रिया के बाद 1 लाख 22 हजार 500 रुपए की राशि एई को दी गई. जब यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो एई ने पुलिस से कथित रूप से मिलीभगत कर कबाड़ी, मजदूरों और वाहन चालक को चोरी का आरोपी बनवा दिया. पुलिस ने भी सम्पूर्ण जांच किए बना एक तरफा एफआईआर दर्ज कर दी. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने जो भी कार्य किया वह सब विभागीय अधिकारियों के सामने और उनके आदेश पर किया गया. इस संबंध में सोमवार को जांच करने के लिए संभागीय अधिकारी विद्युत कंपनी योगेश कुमार माथूर शुजालपुर आए, जिनसे चर्चा का प्रयास किया तो उन्होने फोन नहीं उठाया. इसी प्रकार एई विजय ओझा ने भी चर्चा नहीं की.

यह है पूरा घटनाक्रम...

29 जनवरी की शाम शहर के एक कबाड़ी को 132 केवी ग्रिड परिसर में बुलाकर वहां रखी तांबे की रॉड, कॉइल रिले, एल्यूमिनियम, लोहा, बैटरी सहित अन्य विद्युत उपकरण दिखाए गए. इसके बाद कीमत तय की गई. 30 जनवरी को कबाड़ी मजदूरों और किराए के वाहन के साथ ग्रिड परिसर पहुंचा. करीब दो घंटे तक स्क्रैप की तौल प्रक्रिया चली. वजन के बाद सामग्री वाहन में लोड कर दोपहर 1.10 बजे परिसर से बाहर ले जाई गई. इस दौरान विभागीय रजिस्टर में वाहन और व्यक्तियों की आवक-जावक दर्ज की गई, जिसमें सामग्री एई के आदेश से ले जाने का उल्लेख भी है. वाहन कबाड़ी के घर पहुंचा, जहां स्क्रैप उतारने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और सामग्री को शासकीय बताते हुए वाहन सहित थाने ले आई. 30 जनवरी को इस संबंध में विद्युत कंपनी के अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई. 31 जनवरी को मीडिया द्वारा पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया.

होटल में कबाडी के साथ एई ओझा

होटल में हुआ लेन-देन...

आरोप है कि कबाड़ी से ली गई 1 लाख 22 हजार 500 रुपए की राशि 30 जनवरी को अकोदिया रोड स्थित मामा कैफे में ली गई. एई विजय ओझा दोपहर करीब 1.40 बजे बाइक से शकिल के साथ होटल पहुंचे और अंदर यह लेन-देन हुआ. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जो कि इस प्रतिनिधि के पास भी उपलब्ध है.

इन लोगों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज...

सिटी थाना शुजालपुर में कार्यपालन अभियंता अरुण कुमार कनोजिया की सूचना पर कैलाश बागरी, जावेद खान, शकिल खान, आरिफ खान, इस्माइल खान एवं आमिर के विरुद्ध चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया. एफ आईआर में उल्लेख किया गया कि सामग्री 132 केवी उपकेंद्र से 220 केवी उपकेंद्र भेजी जानी थी, लेकिन वाहन चालक और अन्य लोग उसे वहां न ले जाकर कबाडी के घर ले गए. जबकि पीड़ितों का कहना है कि सामग्री विभागीय अधिकारी द्वारा बेची गई थी.

हमें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है...

किराए का वाहन चलाने वाले कैलाश बागरी निवासी शुजालपुर सिटी ने बताया कि 500 रुपए किराए में सामान ले जाने की बात तय हुई थी. उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रिड से सामान उठाकर कबाड़ी के घर पहुंचाया. इसके बावजूद उन्हें चोरी के मामले में फंसा दिया गया. वाहन पिछले चार दिनों से थाने में खड़ा है और किराया भी नहीं मिला. वहीं कबाड़ी जावेद और शकिल ने बताया कि एई ने स्वयं ग्रिड परिसर में बुलाकर खुलेआम शासकीय सामग्री बेचने की बात कही थी. सौदा तय होने के बाद राशि भी दी गई. अब जब मामला उजागर हुआ तो उन्हें और 200 रुपए मजदूरी पर काम करने गए मजदूरों को चोरी का आरोपी बना दिया गया.

इनका कहना है...

शुजालपुर के 132 केवी उपकेंद्र की विद्युत सामग्री कबाड़ी के यहां से पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. जो भी दोषी पाया जाएगाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

-एसबी सक्सेना, चीफइंजीनियर प्रेषण एवं संचार विद्युत कंपनी जबलपुर

यदि सिटी थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के प्रकरण में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है तो इसकी जांच की जाएगी.

-निमेष देशमुख, एसडीओपी शुजालपुर

उत्कृष्ट में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दी भावभीनी विदाई

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बालक एवं बालिका छात्रावास में हुआ आयोजन

उत्साह और प्रेरणा से भरपूर रहा कार्यक्रम

शाजापुर, 2 फरवरी. शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर स्थित बालक एवं बालिका छात्रावास में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मान में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम भावनाओं, उत्साह और प्रेरणा से भरपूर रहा, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों ने मिलकर इस विशेष अवसर को यादगार बना दिया.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के गौरवशाली पूर्व छात्र रहे, जिनमें स्वपनिल, डॉ. विनोद गुर्जर, गोविंद कराड़ा, नेहा पटवा एवं जितेंद्र विश्वकर्मा शामिल थे. इन सभी ने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि छात्रावास जीवन केवल पढ़ाई का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला होता है, जहां से आत्मनिर्भरता और संघर्षशीलता की सीख मिलती है. संस्था की ओर से सियाराम पाटीदार एवं अशोक पाटीदार की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय और छात्रावास का नाम रोशन करने का आह्वान किया. कार्यक्रम में बालक छात्रावास अधीक्षक ओमप्रकाश पाटीदार एवं बालिका छात्रावास अधीक्षक श्रीमती ज्योति धाकड़ ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई संदेश दिया.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई...

समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें गीत, नृत्य, कविता पाठ और लघु नाटिका शामिल थे. इन प्रस्तुतियों ने सभी उपस्थितजनों का मन मोह लिया और वातावरण को भावनात्मक बना दिया. कई प्रस्तुतियां छात्रावास जीवन की यादों पर आधारित थीं, जिन्हें देखकर कई विद्यार्थियों और शिक्षकों की आंखें नम हो गई. विदाई ले रहे विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और छात्रावास में मिले स्नेह, अनुशासन और सहयोग के लिए अधीक्षकों, कर्मचारियों तथा सहपाठियों का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर विद्यार्थियों ने छात्रावास के कर्मचारियों और जूनियर विद्यार्थियों को स्मृति स्वरूप उपहार भेंट किए, जो आपसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक रहे.

शेरसिंह उर्फ शेरू एक साल के लिए जिला बदर

शाजापुर, 2 फरवरी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना लालघाटी शाजापुर गिरवर निवासी 42 वर्षीय शेरसिंह उर्फशेरू पिता पदमसिंह राजपूत एक वर्ष के लिए जिला बदर करते हुए शाजापुर एवं सीमावर्ती जिले देवास, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़ तथा सीहोर की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निष्कासन आदेश जारी करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधित अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त क्षेत्रों में प्रवेश न करें.

किसानों ने सोयत-माचलपुर मार्ग पर किया चक्काजाम

बिना मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सड़क निर्माण करने का विरोध

सोयतकलां, 2 फरवरी. सुसनेर न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार सुबह 10 बजे लाखाबीर बालाजी मंदिर गेट के सामने किसानों ने सोयत-माचलपुर मार्ग बंद कर दिया. किसानों का आरोप है कि उनकी निजी भूमि पर बिना अधिग्रहण किए और मुआवजा दिए बिना सड़क का निर्माण कर उसका उपयोग किया जा रहा था.

किसानों ने सड़क पर तार की जाली लगाकर कालीसिंध नदी तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन10 बजे से 3 बजे तक रोक दिया. जिसके कारण राहगीरों, वाहन चालकों को अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ा. किसानों ने इसी मुद्दे पर न्यायालय में याचिका दायर की थी. मामले में न्यायालय ने 29 जनवरी को आदेश पारित किया था. इसमें कहा गया था कि अंतिम निर्णय आने तक वादी पक्ष की भूमि से वाहनों को नहीं निकलने दिया जाए और वादी पक्ष को परेशान न किया जाए. इस आदेश के बाद किसानों ने प्रशासन को पूर्व सूचना देकर मार्ग बंद किया. सूचना मिलते ही एसडीओपी देवनारायण यादव, सुसनेर थाना प्रभारी केसर राजपूत, सोयत थाना प्रभारी रामगोपाल वर्मा और नायब तहसीलदार राजेश श्रीमाल सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया. रास्ता बंद होने के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. सुसनेर एसडीओपी देवनारायण यादव के आश्वासन के बाद किसानों ने करीब 3 बजे चक्काजाम खोला.

एक नजर में — **बसंत पंचमी पर हुआ था आयोजन, 10 दिन में पुलिस ने आरोपियों को दबोचा**

हिंदू सम्मेलन के पोस्टर फाड़ने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

मक्सी, 2 फरवरी. बसंत पंचमी के अवसर पर मक्सी में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के बाद महापुरुषों के बैनर-पोस्टर फाड़कर नगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले आरोपी शाकिर पिता फकीर मोहम्मद एवं राहुल पिता लीलाधर गोस्वामी दोनों निवासी कालाभाटा मक्सी को मक्सी पुलिस ने दस दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है.

गौरतलब है कि 23 जनवरी को श्रीराम गार्डन तालाब की पाल के पास विराट हिंदू सम्मेलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था. सम्मेलन स्थल और आसपास भगवान श्रीराम, भगवान श्री देवनारायण, संत रविदास, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद सहित कई महापुरुषों के बैनर-पोस्टर लगाए गए थे. कार्यक्रम समाप्ति के बाद देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया, जिससे नगर में आक्रोश फैल गया. इस संबंध में फरियादी हरीश पांडे निवासी पुराना एबी रोड मक्सी की शिकायत पर थाना मक्सी में अपराध क्रमांक 28/2026 धारा 299 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई. सूत्रों के अनुसार मक्सी पुलिस टीम ने नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और करीब 400 से 500 लोगों से पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शाकिर पिता फकीर मोहम्मद एवं राहुल पिता लीलाधर गोस्वामी दोनों निवासी कालाभाटा मक्सी को 2 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा. कार्रवाई में पुलिस टीम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही, जिनके उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है.

इनका कहना है...

नगर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

- संजय वर्मा, थाना प्रभारी, मक्सी